सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2018 (प्रा.प. रेफरेन्स)
RCMS No- 2018/00027

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार कोटडा, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी / अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कालिया पिता नरसा गमेती, निवासी धधमता, तहसील कोटडा
2. श्री टिकमा पिता नरसा गमेती, निवासी धधमता, तहसील कोटडा

– विपक्षीगण / रेस्पोडेन्ट

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956

* निर्णय *

दिनांक 18-10-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 274 / 2006 (रेफरेन्स) अनवान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटडा बनाम श्री कालिया पिता नरसा गमेती व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2006 द्वारा तहसीलदार कोटडा का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान अजमेर मे रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कोटडा को पुनः मूल पत्रावली लौटायी गयी। तहसीलदार कोटड़ा द्वारा माननीय राजस्व मण्ड़ल मे रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या रेफरेन्स / एल.आर. / 3970 / 2012 / उदयपुर मे पारित निर्णय दिनांक 27.06.2018 द्वारा प्रकरण पुनः न्यायालय हाजा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया है कि ''अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को अनुशंषित कर आगामी विधि सम्मत कार्यवाही हेतु भेजी जाने बाबत निर्णय में दिनांक को अंकित नही किया है। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स अपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय को उक्त कृत्य न्यायिक कार्य पद्धति के अन्तर्गत समाहित नहीं है और अपूर्ण रेफरेन्स के संबंध में किसी भी प्रकार का अभिमत व्यक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रस्तुत रेफरेन्स आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मामले में निर्णय की तिथि अंकित कर पुनः आगामी विधि सम्मत कार्यवाही हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करें।''

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित उक्त निर्णय की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा राजस्व रेकर्ड व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय में वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार कोटड़ा द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत कर दिया गया, किन्तु प्रकरण मे न्यायालय हाजा द्वारा

दिनांक अंकन करना रह जाने से प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पुनः प्रतिप्रेषित किया हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका स0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे आदेश दिये है कि दिनांक 15.08.1947 को राजस्व रेकर्ड मे अंकित भूमि जिसकी किस्म नदी, नाला, जलाशय आदि दर्ज हो, ऐसी भूमि की स्थिति मे बाद मे हुये किसी भी परिवर्तन को अवैध घोषित करते हुये पुनः सरकारी भूमि दर्ज कर नदी, नालो एवं प्राकृतिक जलाशयो का प्राकृतिक स्वरूप बहाल रखा जावे। उक्त भूमि की किस्म भी नदी होने से खातेदारी अधिकार उद्धृत नहीं होते है। अतः विपक्षीगण के नाम अंकित भूमि को पूर्ववत बिलानाम सरकार किस्म नदी दर्ज किया जाना आवश्यक है। मौजा धधमता, तहसील कोटडा के आराजी संख्या 389 रकबा 155 बीघा भूमि में से हाल आराजी नं. 389/8 रकबा 2 बीघा भूमि सन् 1947 व इसके पश्चात राजस्व रेकर्ड मे किस्म भूमि नदी दर्ज थी। अतः विपक्षीगण के नाम अंकित भूमि को पूर्ववत बिलानाम सरकार किस्म नदी दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः तहसीलदार कोटड़ा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं नये सिरे से पुनः आदेश लिखाया जाकर निर्णय दिनांक अंकित करायी गयी। पुनः पत्रावली तहसीलदार कोटडा को प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि ऊपर वर्णित अंकन को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मंडल मे पुनः रेफरेंस प्रस्तुत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर